अध्याय–III

मोटर वाहनों पर कर

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग, वाहनों के पंजीयन, वाहनों के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने तथा राज्य में संचालित वाहनों पर नियंत्रण की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। विभाग, चालकों, परिचालकों एवं व्यवसायियों को अनुज्ञापत्र तथा वाहनों के उपयुक्तता प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। मोटरयान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989, राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951, राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 तथा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के प्रावधानों के अधीन करारोपण तथा कर, फीस एवं शास्ति की वसूली विभाग के अन्य उत्तरदायित्व हैं। विभाग में वाहनों के पंजीयन एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र, अनुज्ञापत्र स्वीकृत करना, कर, फीस, शास्ति आदि की वसूली से सम्बन्धित कार्य कम्प्यूटराईज्ड कर दिये हैं।

परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग में विभागाध्यक्ष होता है। मुख्यालय स्तर पर उसकी सहायता के लिए तीन अतिरिक्त आयुक्त तथा सात उपायुक्त होते हैं। सम्पूर्ण राज्य 11 क्षेत्रों में विभाजित है जिनमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं पदेन सदस्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, कार्यालय प्रमुख होते हैं। इसके अलावा 37 वाहन पंजीयन एवं कराधान कार्यालय है जिनमें जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय प्रमुख होते हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों के साथ राज्य की कुल कर प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	मोटर वाहनों पर कर से वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+)/ कमी (-)	अन्तर की प्रतिशतता	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों के साथ कुल कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2007-08	1,075.00	1,164.40	(+) 89.40	(+) 8.32	13,274.73	8.77
2008-09	1,200.00	1,213.56	(+) 13.56	(+) 1.13	14,943.75	8.12
2009-10	1,300.00	1,372.87	(+) 72.87	(+) 5.61	16,414.27	8.36
2010-11	1,500.00	1,612.25	(+) 112.25	(+) 7.48	20,758.12	7.77
2011-12	1725.00	1,927.05	(+) 202.05	(+) 11.71	25,377.05	7.59

यद्यपि, वास्तव में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों में प्रतिवर्ष अच्छी वृद्धि दर्ज हुई थी, लेकिन राज्य की कुल कर प्राप्तियों की तुलना में मोटर वाहनों पर कर से प्राप्तियों की प्रतिशतता में प्रत्येक वर्ष गिरावट रही है। सिर्फ वर्ष 2009-10 को

छोड़कर। वर्ष 2011-12 में ये प्राप्तियाँ राज्य की कुल कर प्राप्तियों का 7.59 प्रतिशत दर्ज की गई।

3.3 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 35.45 करोड़ थी जिसमें से ₹ 18.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया थे। निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2012 को राजस्व की बकाया की स्थिति दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

बकाया का वर्ष	01.4.2011 को कुल बकाया	वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली	31.3.2012 को बकाया वसूली
2006-07 तक	22.41	4.10	18.31
2007-08	5.36	1.55	3.81
2008-09	6.42	0.41	6.01
2009-10	5.28	1.87	3.41
2010-11	8.36	4.45	3.91
योग	**47.83**	**12.38**	**35.45**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ₹ 18.31 करोड़ की बकाया की राशि पांच वर्षों से अधिक बकाया है तथा समय बीतने के साथ उसकी वसूली की सम्भावना कम है।

यह सुझाव है कि सरकार द्वारा निश्चित अवधि में बकाया की वसूली हेतु विभाग को इस संबंध में कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिए।

3.4 संग्रहण की लागत

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सकल संग्रहण, संग्रहण पर हुआ व्यय तथा ऐसे व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता के साथ इसी अवधि में संग्रहण पर हुए व्यय की सुसंगत अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रहण पर हुआ व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	गत वर्ष के व्यय की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
1.	2007-08	1,164.40	17.44	1.50	2.47
2.	2008-09	1,213.56	29.25	2.41	2.58
3.	2009-10	1,372.87	27.04	1.97	2.93
4.	2010-11	1,612.25	30.82	1.91	3.07
5.	2011-12	1927.05	40.65	2.11	3.71

यह देखा कि मोटर वाहनों पर कर के संग्रहण पर व्यय की कुल संग्रहण से प्रतिशतता अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता की तुलना में हमेशा कम रही। इसे बनाये रखने के लिए सरकार को निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए।

3.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव

गत पाँच वर्षों के दौरान निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के द्वारा ₹ 111.87 करोड़ राजस्व सन्निहित के 27 अनुच्छेदों में अनारोपण/कम आरोपण, अवसूली/कम वसूली, कम निर्धारण/राजस्व की हानि, कर की गलत दर लागू करना, कर की गलत गणना आदि के मामले ध्यान में लाये थे। उनमें से विभाग/सरकार ने पूर्ण/अंशत: ₹ 78.94 करोड़ सन्निहित के 26 अनुच्छेद स्वीकार किये तथा अब तक (सितम्बर 2012) 22 अनुच्छेदों में ₹ 30.67 करोड़ की वसूली की, जैसा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेद		स्वीकार किये गये अनुच्छेद		वसूली गई राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2006-07	6	7.23	6	5.92	6	2.44
2007-08	9	25.15	9	21.50	9	16.07
2008-09	3	47.75	2	19.98	1	0.79
2009-10	4	15.02	4	14.82	3	6.62
2010-11	5	16.72	5	16.72	3	4.75
योग	**27**	**111.87**	**26**	**78.94**	**22**	**30.67**

विभाग द्वारा सिर्फ 39 प्रतिशत ही कुल स्वीकार राशि में से वसूल किया गया था।

सरकार को, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में सन्निहित राशि को प्राथमिकता से वसूल करने हेतु विभाग को निर्देश जारी करने चाहिए विशेषत: ऐसे प्रकरणों में जहाँ विभाग ने पूर्व में स्वीकार्य कर लिया हो ।

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्यप्रणाली

वित्तीय सलाहकार, आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा का शीर्ष अधिकारी होता है तथा उसकी सहायता एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो लेखाधिकारी करते हैं। विभाग में पाँच आन्तरिक लेखापरीक्षा दल कार्यरत हैं तथा प्रत्येक में सहायक लेखाधिकारी शीर्ष अधिकारी होता है। गत पाँच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति

निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा हेतु नियत इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु कुल नियत इकाइयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की गई इकाइयाँ	लेखापरीक्षा नहीं हुई इकाइयाँ	कमी प्रतिशत में
2007-08	-	79	79	75	4	5
2008-09	4	79	83	67	16	19
2009-10	16	79	95	89	6	6
2010-11	6	43	49	49	-	-
2011-12	-	43	43	43	-	-

यह पाया कि वर्ष 2011-12 के अन्त में वर्ष 2011-12 तक के 12,509 अनुच्छेद बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	1991-92 से 2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
अनुच्छेद	7,809	887	763	966	990	1,094	**12,509**

7,809 आक्षेप आन्तरिक लेखापरीक्षा के वर्ष 1991-92 से बकाया थे। इस प्रकार, भारी संख्या में अनुच्छेद बकाया इस बात की ओर संकेत करते है कि विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये बकाया आक्षेपों के निस्तारण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा विभागों को बकाया अनुच्छेदों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये जाने चाहिये जो कि आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये है।

3.7 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 44 इकाईयों में से 26 इकाईयों के अभिलेखों की मापक जांच में 9,711 प्रकरणों में ₹ 29.81 करोड के कर की अवसूली/कम वसूली तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखत श्रेणियों में आता है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	कर, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन फीस की अवसूली/कम वसूली	6,539	18.96
2.	मोटर वाहन कर/विशेष पथकर की संगणना न करना/कम करना	2,734	10.64
3.	अन्य अनियमितताएं	438	0.21
योग		**9,711**	**29.81**

विभाग ने 5,189 प्रकरणों में ₹ 17.64 करोड़ की कम निर्धारण एवं अन्य कमियाँ स्वीकार की, जिनमें से ₹ 4.08 करोड़ के 444 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान 2,621 प्रकरणों में ₹ 4.94 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.31 करोड़ के 146 प्रकरण 2011-12 में तथा शेष ₹ 4.63 करोड़ के 2,475 प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी लेखापरीक्षा टिप्पणियां ₹ 15.88 करोड़ सन्निहित की अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शायी गयी है।

3.8 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

परिवहन विभाग में अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान कर, फीस एवं शास्ति के अनारोपण के कई प्रकरण हमारे ध्यान में आये। उनमें से कुछ आक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे, लेकिन ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थी, अपितु लेखापरीक्षा करने तक इनका पता नहीं लगा। ये प्रकरण निदर्शी हैं तथा लेखापरीक्षा द्वारा की गयी मापक जाँच पर आधारित हैं। यह पाया गया कि कर, फीस एवं अन्य प्रभारों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत वाहनों के कर खातों के समुचित संधारण के अनुश्रवण हेतु विभाग में कोई प्रणाली कम्प्यूटरीकृत विद्यमान नहीं थी। इसके अलावा वाहनों की संख्या, जिन पर कर देय था लेकिन वसूल नहीं हुआ, को दर्शाने वाली विवरणी निर्धारित नहीं थी। यहाँ पर आन्तरिक लेखापरीक्षा को प्रभावी बनाने सहित आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त करने तथा कर, फीस आदि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सामयिक विवरणियों के माध्यम से निगरानी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

3.9 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान हैं:

(i) सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जाना;

(ii) सभी परिवहन वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से एकमुश्त कर का आरोपण; तथा

(iii) अधिभार का कर पर निर्धारित दर से आरोपण करना।

अभिलेखों की मापक जाँच के दौरान यह ध्यान में आया कि अनुच्छेद 3.10.1 से 3.10.3 में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रावधानों में से कुछ को विभागीय प्राधिकारियों ने ध्यान में नहीं रखा।

3.10.1 मोटर वाहनों पर कर की वसूली नहीं करना

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4 और 4बी तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी मोटर वाहनों, जिनका राज्य में उपयोग किया गया है अथवा जो उपयोग हेतु रखे गये हैं, पर मोटर वाहन कर का आरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से किया जायेगा।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों/16 जिला परिवहन कार्यालयों के 2009-10 से 2010-11 की अवधि के पंजीयन अभिलेखों, कर खातों एवं सामान्य सूची पंजिकाओं की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि 5,052 वाहनों के सम्बन्ध में इनके वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2007 तथा मार्च 2011 के मध्य की अवधि के लिए मोटर वाहन कर एवं विशेष पथकर का भुगतान या तो नही किया गया अथवा कम किया गया। अभिलेखों में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं पायी गई कि उक्त वाहन सड़क पर नहीं चले थे अथवा किसी अन्य जिले/राज्य में स्थानान्तरित हो गये थे। इसके परिणामस्वरूप नीचे दर्शायेनुसार कर राशि ₹ 14.99 करोड़[1] की अवसूली रही। कर के अतिरिक्त, कर भुगतान की वास्तविक तिथि तक शास्ति

[1] 5,012 मामलों में ₹ 14.83 करोड़ की अवसूली व 40 मामलों में ₹ 0.16 करोड़ की कम वसूली हुई।

भी आरोपणीय है जैसा नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	वाहनों की संख्या	कर की अवधि	राशि (₹ करोड़ में)	कार्यालयों का नाम
1.	भार वाहन	1,747	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	2.72	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
2.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले)	1,699	अप्रैल 2007 से मार्च 2011	3.43	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चुरू, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ, जयपुर (संविदा वाहन), जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
3.	संविदा वाहन (चालक को छोडकर 13 व्यक्तियों से अधिक की बैठक क्षमता वाले)	221	अप्रैल 2008 से मार्च 2011	3.28	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (संविदा वाहन), जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द एवं श्रीगंगानगर।
4.	मंजिली वाहन	284	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.75	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), झुन्झुनु, एवं श्रीगंगानगर।
5.	संलग्नक भार वाहन	463	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.23	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, बीकानेर, चित्तौडगढ, जोधपुर, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, ब्यावर, भीलवाडा, झुन्झुनु, एवं राजसमन्द।
6.	बिना अनुज्ञा-पत्र के यात्री वाहन	112	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.15	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, एवं जोधपुर; जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (भार वाहन), झुन्झुनु, एवं श्रीगंगानगर।
7.	डम्पर/टिप्पर	472	अप्रैल 2009 से मार्च 2011	1.19	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर, भीलवाड़ा, जालौर, झुन्झुनु, राजसमन्द, सिरोही एवं श्रीगंगानगर।
8.	निजी सेवा वाहन	54	अप्रैल 2007 से मार्च 2011	0.24	जिला परिवहन कार्यालय, जयपुर (संविदा वाहन)।
योग		**5,052**		**14.99**	

इसे ध्यान में लाये जाने पर (जुलाई 2011 एवं अप्रेल 2012 के मध्य) सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि 1,110 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 2.50 करोड़ की वसूली कर ली गई थी और 173 वाहनों के सम्बन्ध में ₹ 43.91 लाख अन्य राज्यों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वाहनों हेतु जारी किये जाने, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण, पंजीकरण बदले जाने, एकमुश्त कर जमा कराने आदि के कारण वसूलीनीय नहीं थे। फिर भी लेखापरीक्षा के समय प्रस्तुत अभिलेख सही स्थिति नहीं दर्शा रहे थे। बकाया प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

3.10.2 एकमुश्त कर की बकाया किस्तों की अवसूली/कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-स तथा उसके अधीन समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। एकमुश्त कर का भुगतान सम्पूर्ण एक साथ या एक वर्ष की अवधि में समान तीन किश्तों में किया जा सकेगा।

आठ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों व जिला परिवहन कार्यालयों[2] के वर्ष 2009-10 और 2010-11 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया (अगस्त 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य) कि 172 परिवहन वाहनों के सम्बन्ध में, जिनमें एकमुश्त कर का भुगतान तीन समान किश्तों में करने का विकल्प दिया गया था, उन वाहनों के स्वामियों ने शेष दो या तीसरी किश्त का भुगतान कम किया गया या नहीं किया गया था। कराधान अधिकारियों ने देय कर की राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके परिणामस्वरूप एकमुश्त कर की राशि ₹ 66.92 लाख की अवसूली/कम वसूली रही।

यह ध्यान में लाये जाने पर (अक्टूबर 2011 और अप्रेल 2012 के मध्य) सरकार ने बताया कि (अक्टूबर 2012) 61 की वाहनों के संबंध में ₹ 27.14 लाख वसूल किये जा चुके है। बकाया प्रकरणों पर कार्यवाही की रिपोर्ट अभी तक प्रतीक्षित है (नवम्बर 2012)।

[2] प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, बीकानेर, जोधपुर, सीकर एवं उदयपुर; जिला परिवहन कार्यालय, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर एवं राजसमन्द।

3.10.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली

राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4(बी) के अधीन अधिसूचना संख्या एफ 6/96/परि./कर/मु./III/7डी दिनांक 01.08.2007 के अनुसार बेड़ा स्वामी के मंजीली वाहनों पर विशेष पथ कर, बेड़े के समस्त वाहनों नगरीय सीमा में चलने वाले वाहनों को छोड़कर, जिसका उपयोग मंजीली वाहनों के रूप मे किया जाता है या उपयोग हेतु रखे जाते है की चेचिस की लागत का 2.05 प्रतिशत की दर से देय होगा। इसके अतिरिक्त, कर की संग्रहण के लिये चेसिस की लागत का निर्धारण राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगा।

वर्ष 2010-11 में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में (जनवरी 2012) यह पाया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के स्वामित्व की मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की संगणना करने हेतु चेसिस के कम मूल्यांकन के कारण कम आरोपण हुआ। इसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की ₹ 21.98 लाख की कम वसूली हुई।

चूक विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को प्रतिवेदित की गई (फरवरी 2012); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

3.11 परिवहन विभाग द्वारा चालक अनुज्ञापत्र जारी किये जाना

3.11.1 परिचय

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चला सकता जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विशेष श्रेणी का वैध चालक अनुज्ञापत्र उसके पास न हो। दो प्रकार के चालक अनुज्ञापत्र: शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र (मात्र 6 माह की अवधि की वैधता) एवं चालक अनुज्ञापत्र, जारी किये जाते है। चालक अनुज्ञापत्र शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने से एक माह की समाप्ति के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। परिवहन विभाग को चालक अनुज्ञापत्र, कन्डक्टर लाईसेंस आादि जारी करने का कार्य सौपा गया है। राज्य में अनुज्ञापत्र जारी करने का प्राधिकार जिला परिवहन अधिकारी (डी.टी.ओ.) और मोटर वाहन निरीक्षक/मोटर वाहन उप निरीक्षक (एम.वी.आई/एम.वी.एस.आई.) में निहित है।

3.11.2 अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में पायी गई कमियां

केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) नियम 10 और 14 में यह निर्धारित किया है कि आवेदक को क्रमशः फार्म-2 एवं फार्म-4 में प्रत्येक के लिये शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र और चालक अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म की उपयुक्तता की जांच अनुज्ञापत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा की जायेगी और कम्प्यूटराईज्ड चालक अनुज्ञापत्र हेतु भी एक फार्म अनुज्ञापत्र जारीकर्त्ता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

लेखापरीक्षा द्वारा 1,100 आवेदन फार्मों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया जो कि अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्राप्त किये गये थे। लेखापरीक्षा में 469 कमियों का आवेदकों द्वारा प्रस्तुत व अधिकारियों द्वारा जांचे गये फार्मों में पता चला। वे अपूर्ण थे, उनमें अनिवार्यतः सूचना नहीं थी, और यहां तक कि आवेदकों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। इस प्रकार अधिनियम और नियमों का उल्लघंन किया गया जिसका विवरण निम्न सारणी में है:

कार्यालय की संख्या	आपत्ति की प्रवृति	प्रकरणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र में पायी गई कमियां		
दस कार्यालय[3]	केन्द्रीय मोटर वाहन नियम के नियम 4 के अनुसार प्रत्येक आवेदक को चालक अनुज्ञापत्र हेतु अपने पते और आयु के लिये कोई साक्ष्य उपलब्ध कराना चाहिये। लेखापरीक्षा में 6 आवेदन पत्रों में पता और 7 आवेदन पत्रों में जन्म दिनांक का मिलान आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये गये साक्ष्यों से नहीं हो पाया था और 6 आवेदन पत्रों पर जन्म दिनांक अंकित नहीं थी।	19
छः कार्यालय[4]	पेन कार्ड को जन्म दिनांक के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था जबकि के.मो.वा. नियम के नियम 4 में पेन कार्ड का साक्ष्य के रूप में निर्धारित नहीं है।	19
दस कार्यालय[5]	32 आवेदन पत्रों में कौनसी श्रेणी के लिये अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया है, अंकित नहीं पाया गया।	32
सात कार्यालय[6]	28 आवेदन पत्रों में आवेदन पत्र के अन्त में आवेदक के हस्ताक्षर आवश्यक होते है, नहीं पाये गये।	28
दो उप कार्यालय	के.मो.वा. नियम के नियम 4 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख सत्यापित होने चाहिये। पीपाड़ सिटी और गंगापुर सिटी में तीन प्रकरणों में सत्यापित नहीं पाये गये।	03

[3] प्रा.प.का.-सीकर, जि.प.का.-बूंदी, उप कार्यालय-रींगस, पीपाड़ सिटी, जोधपुर, उदयपुर, जि.प.का. उप कार्यालय-फलौदी, चौमू, जयपुर और सलूम्बर।

[4] प्रा.प.का.-उदयपुर, जि.प.का.-बूंदी और उप कार्यालय-गंगापुर, सलूम्बर, फलौदी और पीपाड़ सिटी।

[5] प्रा.प.का.-सीकर, उदयपुर, जयपुर जि.प.का.-सवाईमाधोपुर और उप कार्यालय-बहरोड़, रींगस, पीपाड़ सिटी, गंगापुर, दूदू और चौमू।

[6] प्रा.प.का.-जोधपुर, जयपुर, जि.प.का.-बूंदी, उप कार्यालय-रींगस, फलौदी, दूदू और चौमू।

(1)	(2)	(3)
प्रा.परि.का., उदयपुर	के.मो.वा. नियम के नियम 12 के अनुसार नाबालिगों को अनुज्ञापत्र जारी करने में अभिभावकों की सहमति आवश्यक थी, जो कि नहीं पायी गयी।	03
तीन उप कार्यालय[7] एवं चार जि.परि.का.[8]	के.मो.वा. नियम के नियम 5 के अनुसार स्वयं का शारीरिक सक्षमता (फिजीकल फिटनैस) घोषणा पत्र (प्रपत्र-आई) में संलग्न होना आवश्यक था। 160 आवेदन पत्रों में नहीं पाया गया।	160
सात कार्यालय[9]	के.मो.वा. नियम के नियम 5 के अनुसार स्वयं का शारीरिक सक्षमता (फिजीकल फिटनैस) घोषणा पत्र (प्रपत्र-आई) पर 30 प्रकरणों में आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये।	30
योग		**294**
अन्तर्राष्ट्रीय चालक परमिट में पायी गयी कमियां		
दो कार्यालय	प्रा.परि.का., उदयपुर और उप कार्यालय, पीपाड़ सिटी में के.मो.वा. नियम के नियम, 5 के अनुसार पांच प्रकरणों में प्रपत्र-1ए में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे। परमिट, केवल आवेदन पत्र (प्रपत्र-4ए), के आधार पर ही जारी कर दिये गये थे।	**05**
योग		**05**
चालक अनुज्ञापत्र में पायी गयी कमियां		
दस कार्यालय[10]	प्रपत्र-4 (आवेदन पत्र) में यह प्रावधान है कि चालक परीक्षण के परिणाम दर्ज किये जाये जैसे: 'पास और फेल' 113 प्रकरणों में यह अंकित नहीं था।	113
चार कार्यालय[11]	विभाग के निर्देश दिनांक 26.02.2010 के अनुसार प्रपत्र-4 (आवेदन पत्र) में आवेदक के वाहन का पंजीकरण संख्या आवश्यक रूप से अंकित होनी चाहिये थी। 17 प्रकरणों में यह अंकित नहीं पायी गयी।	17
योग		**130**
चालक अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण में पायी गयी कमियां		
चार कार्यालय[12]	के.मो.वा. नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत आवश्यक प्रपत्र-1ए मे चिकित्सा प्रमाण पत्र परिवहन वाहनों के 17 प्रकरणों में तथा गैर परिवहन वाहनों के 18 प्रकरणों में संलग्न नहीं पाये गये।	35
तीन कार्यालय[13]	के.मो.वा. नियमों के नियम 18 के अन्तर्गत, पाँच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ सक्षमता हेतु पुनः परीक्षण का साक्ष्य पांच प्रकरणों में संलग्न नहीं पाया गया।	05
	योग	**40**
	महायोग	**469**

[7] उप कार्यालय-बहरोड़, गंगापुर और सलूम्बर।

[8] प्रा.प.का.-सीकर, उदयपुर, जि.प.का.-बूंदी और उप कार्यालय-रींगस।

[9] प्रा.प.का.-सीकर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, जि.प.का.-सवाईमाधेपुर और उप कार्यालय-फलौदी और चौमू।

[10] प्रा.प.का.-अलवर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, जि.प.का.-सवाईमाधेपुर, बूंदी और उप कार्यालय-रींगस, सलूम्बर और दूदू।

[11] प्रा.प.का.-अलवर, और उप कार्यालय-रींगस, सलूम्बर और दूदू।

[12] प्रा.प.का.-अलवर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर।

[13] प्रा.प.का.-अलवर, जोधपुर और उदयपुर।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया था कि फार्म-4 जिसमें आवेदन के 'असफल' रहने के कारण दर्ज किये जाते है, आवेदन फार्म में दर्ज नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त परीक्षा लेने वाले अधिकारियों का नाम, पदनाम भी आवेदन पत्र में दर्ज नहीं पाया गया।

इन कमियों से पता चलता है कि अनुज्ञापत्र जारीकर्ता अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की सही प्रकार से जांच नहीं की गई। चूकि चालक अनुज्ञापत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा यह एक साक्ष्य और व्यक्तिगत पहचान में यह मांगा जाता है अत: इसकी अनुशंसा की जाती है।

विभाग को अनुज्ञापत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी आवेदन पत्र ठीक प्रकार से भरे गये है और चालक अनुज्ञापत्र जारी किये जाने से पूर्व सभी वर्णित दस्तावेजों के साथ उनकी जांच कर ली गई है।

3.11.3 शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र की परीक्षा में पायी गयी कमियां

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 11 में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र के लिये आवेदक को यातायात चिन्हों, संकेतों, चालक के कर्त्तव्यों और सड़क विनियमन के नियमों आदि की पर्याप्त जानकारी का आंकलन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा का प्रावधान किया गया है।

3.11.3.1 विभाग द्वारा आवेदक की जानकारी तथा यातायात नियमों के बारे में समझ का पता लगाने के लिये कम्प्यूटर स्पर्श मशीन से शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु एक प्रारम्भिक परीक्षा ली जाती है। स्पर्श मशीन पर दो सॉफ्टवेयर काम में लिये जा रहे थे। 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' जो कि विभाग द्वारा विकसित किया गया था और 'सारथी सॉफ्टवेयर'[14] जो कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित और उपल्बध कराया गया था।

यह पाया गया कि 37 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय/जिला परिवहन कार्यालय में से, 31 मार्च 2012 तक मात्र नौ कार्यालयों में ही 'सारथी सॉफ्टवेयर' कार्य कर रहा था। जबकि 28 कार्यालयों में 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' जो कि विभाग द्वारा विकमित किया गया था, कार्य कर रहा था।

'इन हाउस सॉफ्टवेयर' द्वारा वर्तमान अनुज्ञापत्रधारियों को शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र परीक्षा में, जब उन्होनें दूसरी श्रेणी के अनुज्ञापत्रों को जुडवाने हेतु आवेदन किया कोई रियायत नहीं दी। इसके अतिरिक्त स्पर्श मशीन को उप कार्यालय (प्रा.परि.का./जि. परि.का. के अधीन कार्यरत) में स्थापित नहीं किया गया था फलस्वरूप प्रारम्भिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गई।

3.11.3.2 कार्यालय आदेश दिनांक 02.02.2009 के अनुसार शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए कम्प्यूटराईज्ड स्पर्श स्क्रीन मशीन पर ही प्रारंभिक परीक्षा ली जानी थी, हालांकि यह उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन स्थापित नहीं की गयी थी।

[14] वर्ष 2011 में 'सारथी' की सूचना प्रौद्योगिक लेखापरीक्षा की गई। इस पर टिप्पणियाँ सी.ए.जी. लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2011 में सम्मिलित की गई।

फलस्वरुप प्रारंभिक परीक्षा मानवीय तौर पर ली गयी थी। इसके अलावा कार्यालय आदेश दिनांक 30.06.1995 द्वारा मानवीय प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक से कम से कम 10 प्रश्न पूछे जाने थे। आवेदन प्रपत्रों में परीक्षण प्राधिकारी द्वारा टिप्पणियां संलग्न कर सुरक्षित रखी जानी थी।

हालांकि यह पाया गया कि सात उप कार्यालयों[15] में मो.वा.नि/मो.वा.उप नि. ने प्रारंभिक परीक्षा आयोजन के संबन्ध में कोई दस्तावेज संधारित नहीं किये गये थे। उप कार्यालय, बहरोड में केवल तीन प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी कर दिये गये थे। तीन कार्यालयों[16] के 25 प्रकरणों में सम्बन्धित मो.वा.नि/मो.वा.उप नि. ने हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, सात कार्यालयों के 81 प्रकरणों में जांच के परिणाम अंकित नहीं पाये गये थे।

3.11.3.3 विभाग द्वारा दिनांक 21.9.2009 के निर्देश अनुसार सभी आवेदकों के लियै 'कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट' अनिवार्य था। यह पाया कि 'कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट' ना तो स्पर्श स्क्रीन मशीन द्वारा और ना ही मानवीय तौर पर लिया गया था।

विभाग को 'सारथी सॉफ्टवेयर' सभी कार्यालयों में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये लागू करना चाहिये और सभी उप कार्यालयों में स्पर्श स्क्रीन मशीन की स्थापना करनी चाहिये।

3.11.4 डेटा बेस में उल्लघंनों को दर्ज करना

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार अनुज्ञापत्र जारीकर्ता अधिकारियों को अधिकृत करता है कि वे ऐसे व्यक्ति के चालक अनुज्ञापत्र को निरस्त कर सकते है अथवा रोक सकते हैं जिसने अधिनियम में उल्लिखित नियमों का उल्लघंन किया है। प्रत्येक उल्लघंन के लिये अनुज्ञापत्र (प्रपत्र-7) के पिछले हिस्से पर पांच सर्किल उपलब्ध कराये गये हैं।

सरकार द्वारा जारी (04.05.2009) निर्देशानुसार अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गई प्रत्येक उल्लघंन को दर्ज करने के लिये अनुज्ञापत्र (प्रपत्र-7) पर पांच सर्किल दिये गये है जो प्रत्येक उल्लघंन पर पंच किये जाते हैं। आदेश में यह प्रावधान है कि चालक का अनुज्ञापत्र अगर पांच बार पंच पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है।

यह पाया गया कि 'सारथी' और 'इन हाउस' सॉफ्टवेयर में पंच किये गये अनुज्ञापत्रों की सूचना रखने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण/डुप्लीकेट प्रति जारी करते समय अनुज्ञापत्रधारी द्वारा किये गये उल्लघंनों की संख्या ज्ञात नहीं की जा सकी। उल्लघंन की जांच हेतु कोई पंजिका का संधारण मानवीय रूप से नहीं किया गया था।

[15] उप कार्यालय रीगस, गंगापुरसिटी, सलम्बूर, फलौदी, पीपाड़सिटी दूदू और चौमू।
[16] उप कार्यालय रीगस, फलौदी और पीपाड़सिटी।

3.11.5 मोटर ड्राईविंग स्कूल

विभाग ने चयनित कार्यालयों में 56 मोटर ड्राईविंग स्कूलों को शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये अधिकृत किया गया था। आयुक्त द्वारा अनुज्ञापत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को इन स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण करने और मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी (09.04.2007) किये गये थे।

चयनित कार्यालयों में, शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र जारी करने वाले इन अधिकृत स्कूलों के अभिलेखों की हमारी जांच में पाया कि विभाग द्वारा इन स्कूलों की आकस्मिक जांच नहीं की गई थी।

3.11.6 शिक्षार्थी एवं चालक अनुज्ञापत्र हेतु एकमुश्त शुल्क

केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 32 के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी से अनुज्ञापत्र हेतु ₹ 30, चालक अनुज्ञापत्र हेतु ₹ 200 और ₹ 50 चालक परीक्षण हेतु वसूले जायेगें।

परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार (27.06.2000) एकमुश्त शुल्क ₹ 280 निर्धारित किया गया था। यह नियमों के विरुद्ध था। इसके आगे, पता चला कि 'सारथी सॉफ्टवेयर' में शिक्षार्थियों और चालक अनुज्ञापत्रों के लिये पृथक शुल्क का प्रावधान किया गया था लेकिन यह सुविधा 'इन हाउस सॉफ्टवेयर' में उपलब्ध नहीं थी जबकि इसमें एकमुश्त शुल्क का प्रावधान किया गया था।

उपरोक्त आपत्तियों को बताये जाने (अगस्त 2012) पर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर अवगत कराया (अक्टूबर 2012) कि सभी प्रा.परि.का./ जि.परि.का. को प्रक्रिया संबंधी कमियों को ठीक किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे है।

विभाग को, केन्द्रीय मोटर वाहन नियम अनुसार शिक्षार्थियों एवं चालक अनुज्ञापत्र हेतु तथा उनके नवीनीकरण के लिये पृथक शुल्क प्रमाणित करना चाहिये।

3.11.7 विभाग में आधारभूत सुविधाओं की कमी

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि आवेदकों के लिये विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, छाया, शौचालय, बैठने की व्यवस्था आदि अपर्याप्त थी। पायी गई कमियों को अनुवर्ती अनुच्छेदों में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

3.11.7.1 प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर और अलवर को छोड़कर कहीं पर भी ऐसा स्थान निश्चित नहीं किया गया था जहां पर से वाहन चालकों के परीक्षण को परीक्षण अधिकारियों द्वारा देखा जा सके। वहां पर भी अस्थायी निर्माण किया गया था जो कि ट्रेक के पास था। विभाग ने बताया कि आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना विभाग में विचाराधीन है।

3.11.7.2 आवेदकों को सुविधा प्रदान करने के आदेशों की पालना में विभाग द्वारा प्रत्येक प्रा.प.का./जि.प. कार्यालय में 'मै आई हेल्प यू' काउन्टर की स्थापना की गयी। यह देखा गया कि चयनित कार्यालयों में किसी भी कार्यालय में इन काउन्टरों पर पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी थी। परिणामस्वरुप आवेदक इन काउन्टर पर अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

3.11.7.3 यह भी देखा कि आवेदकों द्वारा प्रक्रिया और औपचारिकताओं की आसानी से पूर्ण करने सम्बन्धी सूचनाओं के प्रदर्शन बोर्ड भी स्थापित नहीं किये गये थे।

3.11.7.4 चयनित सात प्रा.प.का./जि.प. कार्यालय में से केवल तीन कार्यालयों में शिक्षार्थी अनुज्ञापत्र के आवेदकों के लिये उपयुक्त कमरा था जिसमें से एक जि.प. का, जयपुर में वातानुकूलित कमरा था और अन्य स्थानों पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गई थी। मूलभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, शौचालय, छाया आदि चयनित दो उप कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थी।

3.11.7.5 इसके अतिरिक्त, यह पाया कि 'सुरक्षित ड्राईविंग' की आवेदन पुस्तिका के साथ जारी चिकित्सा प्रपत्र एवं प्रपत्र-4 (कम्प्यूटराईज्ड अनुज्ञापत्र हेतु प्रपत्र) केवल अंग्रेजी भाषा में थे, यद्यपि, राज्य में आवेदक मुख्य रुप से हिन्दी भाषी थे। इसलिये प्रपत्र में दिये गये निर्देशों की अनुपालना एवं समझना आवेदकों के लिये कठिन था।

विभाग विचार करें:

प्रणाली में, अनुज्ञाधारियों द्वारा किये उल्लघंनों को अभिलिखित करने हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराये, मोटर ड्राईविंग स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण करें, तथा

आवेदकों के लिये आधारभूत सुविधायें जैसे: पीने का पानी, सुविधायें, छाया एवं बैठने की व्यवस्था आदि उपलब्ध करायें तथा चिकित्सा प्रपत्र-4 को द्विभाषी अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध करायें।